नाबार्ड द्वारा ऋण के लिये निर्धारित राशि में 20 प्रतिशत कटौती किया जाना

2130. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या यह सच हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने चालू वर्ष के दौरान अपनी ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु निर्धारित राशि में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच हैं कि इस निर्णय के साथ-साथ उन्होने ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों में भी वृद्वि करने का निर्णय लिया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या हैं;

(घ) उक्त बैंक द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कुल कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ड.) ऋण के लिये निर्धारित राशि के 20 प्रतिशत की कटौती किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय ने राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रेशखर मूर्ति) : (क) और (ड.) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने ऋणों के लिए निर्धारित राशि में कटौती करने का कोई निर्णय नहीं लिया हैं। तथापि, उपलब्ध पुनर्वित की मात्रा को युक्तियुक्त बनाने के लिए, नाबार्ड ने 1 अगस्त, 1995 से कतिपय श्रेणियों में वाणिज्यिक बैंकों राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को उपलब्ध कराई जा रही पुनर्वित की दर को कम करने का निर्णय लिया हैं। राज्य भूमि विकास बैंकों (एसएलडीबी) के मामले में, कोई कटौती नहीं की गई हैं क्योंकि वे निधियों के लिए मुख्यतः नाबार्ड पर आश्रित हैं।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने 1 अगस्त, 1995 से वाणिज्यिक बैंकों के तीन वर्ष से अधिक की सावधि ऋणों के लिए सभी ऋण सीमाओं (स्लैबों) में अपने योजनाबद्व ऋणों के लिए पुनर्वित्त के ब्याज दरों में 0.5% से 1.0% तक का अर्धगामी संशोधन किया हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएलडीसी के मामले में 25,000/-रू. तक और 25000/- रू. से अधिक और 2 लाख रू. तक की ऋण सीमाओं में, 3 वर्षो और उससे अधिक के सावधि ऋणों के लिए ऐसी कोई वृद्वि नहीं की गई हैं। 2 लाख रूपए से अधिक की उच्चतम ऋण सीमा में,

नाबार्ड ने 1.8.1995 से अपने पुनर्वित पर ब्याज दर में 12% वार्षिक तक संशोधन किया हैं। सामान्य और विशेष डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा एसएलडीबी को उपलब्ध कराये गए अन्तरिम पुनर्वित्त पर ब्याज दर को 10% तक बढ़ाया गया है। तथापि, बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण करने की प्रौद्योगिक योजना के पुनर्वित्त को ब्याज दरों के संशोधन से मुक्त रखा गया हैं।

(घ) नाबार्ड ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान योजनाबद्व ऋण के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों को क्रमशः 2359 करोड़ रूपए, 2745 करोड़ रूपए की सीमा तक पुनवित्त उपलब्ध करवाया हैं।

Banks to come out with Public Issues

2131. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Public Sector Banks have been advised by the Government to resort to public issues only if it is necessary to do so, to reach minimum capital adequacy ratios;

(b) if not, for what other purposes can banks resort to public issues; and

(c) names of banks which have come out or likely to come out with public issues during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 and the level of their capital adequacy ratios present and projected after the issues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) No, Sir.

(b) In addition to achieving the capital adequacy ratio, the public sector banks have to raise their level of capital for the following reasons also:

1. With the growth in deposits, funded risk assets and off-balance sheet items would increase commensu-rately and this would necessitate enhancement in net-worth to comply with capital adequacy norm.